न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार मेघवाल, आई.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– 32/2025 ई.रे. दिनांक 16.02.2026

1. रामी पुत्री हेमा पत्नी वजेराम रावत नि. खानपुरा हाल अरथला (डूंगला) तह.बडीसादडी
2. संतोष पुत्री हेमा पत्नी नारायण रावत नि. खानपुरा हाल अरथला (डूंगला) तह.बडीसादडी

– प्रार्थीगण

बनाम

1– हेमा पुत्री गोविन्द रावत नि. खानपुरा तह.बडीसादडी
2–राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी
3–उप–पंजीयक निकुंभ

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट
उपस्थित– श्री आर.एस. पुजारी वकील प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र निम्नानुसार पेश है:–

1– प्रार्थीगण की ओर से एक वाद पत्र न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट. का पेश किया है ।

2– खाता सख्या 167 की खसरा नम्बर 114 रकबा 0.4300 हैक्ट. लगान 11.18 रूपया, आ.न. 12 रकबा 0.6300 हैक्ट., लगान 5.04 रूपया, आ.न. 13 रकबा 0.4000 हैक्ट. लगान 1.20 रूपया आराजी 14 रकबा 0.0200 हेक्ट. गे. मु. चाह, आराजी नं. 24 रकबा 0.5400 हैक्ट. लगान 1.08 रूपया, आ.न. 26 रकबा 0.6400 हैक्ट. लगान 12.16 रूपया, आ.न. 29 रकबा 0.2800 हैक्ट. लगान 1.40 रूपया, आ.नं. 30 रकबा 0.5700 है. लगान 10.83 रूपया, आराजी नं. 46 रकबा 0.8900 है. लगान 6.23 रूपया, आ.न. 48 रकबा 0.7500 हैक्ट., लगान 5.25 रूपया, आराजी नं. 68 रकबा 0.3400 लगान 6.46 रू., आराजी नं. 69 रकबा 0.0100 है. लगान गे.मु. चाह कुल किता 12 रकबा 5.5000 है. लगान 60.8300 रूपया ग्राम पीण्ड पटवार हल्का पीण्ड तहसील बडीसादडी में स्थित है। इन आराजीयात को इस प्रार्थना पत्र में आगे चलकर वादग्रस्त आराजीयात के नाम से संबोंधित किया जावेगा।

3– वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी पैत्रक सम्पत्ती है जो गोविन्द जी के बाप दादाओं के समय से चली आ रही है। यह आराजीयात विपक्षी क्रमांक 1 हेमा एवं अन्य सह खातेदारों के नाम पर वर्तमान में खातेदारी में चल रही है। किन्तु उक्त आराजीयात पुश्तैनी पेत्रिक सम्पत्ति होने से वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण का बाई बर्थ हक हिस्सा निहित है। वर्तमान में राजस्व रिकोर्ड में विपक्षी क्रमांक 1 हेमा का 1/3 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। इसलिये वादग्रस्त आराजीयात के 1/3 हिस्से में प्रार्थीगण का बराबर–बराबर शामलाती रूप से खातेदारी में प्रार्थीगण अपना हिस्सा घोषित कराने के अधिकारी है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

4–चूंकि वादग्रस्त आराजीयात विपक्षी क्रमांक 1 के नाम पर अन्य खातेदारो के सहखातेदारी मे दर्ज चली आ रही है तथा राजस्व रिकॉर्ड में विपक्षी हेमा का नाम 1/3 हिस्से दर्ज है जो प्रार्थीगण के हक व हिस्से से

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

वंचित करने के आशय से इन आराजीयात को रहन, बय, बक्षीश के जरिये में हस्तांतरीत करने पर आमादा है इसलिये विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे वादग्रस्त आराजीयात को रहन, बय, बक्षीश या अन्य तरीके से हंतांतरीत न करे न करावें।

5– प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीण के पक्ष मे ही है यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को ऐसी हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह से संभव नही हो सकेगी और प्रार्थीगण अपनी हिस्से की आराजीयात से वचित हो जावेंगे। इसलिए विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना है कि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात वर्णित प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 या इसके किसी भी भू भाग को मूल वाद के निस्तारण तक किसी भी तरह से हस्तांतरित न करे न करावे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायी रखे।

वकील प्रार्थी की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजीयात पैत्रक पुश्तैनी है । वादग्रस्त आराजीयात विपक्षी क्रमांक 1 के नाम पर अन्य खातेदारो के सहखातेदारी मे दर्ज चली आ रही है तथा राजस्व रिकॉर्ड में विपक्षी हेमा का नाम 1/3 हिस्से दर्ज है जो प्रार्थीगण के हक व हिस्से से वंचित करने के आशय से इन आराजीयात को रहन, बय, बक्षीश के जरिये में हस्तांतरीत करने पर आमादा है इसलिये विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित होकर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। जिस कारण अप्रार्थी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है । विपक्षी प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा है । इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

<u>2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–</u>

वादग्रस्त आराजीयात पैत्रक पुश्तैनी है । प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित होकर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि विपक्षी को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावेगें जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थीगण साबित करने में सफल रहे है।

–:आदेश:–

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि कि वादग्रस्त आराजीयात पैत्रक पुश्तैनी है । प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित होकर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। । जिस कारण अप्रार्थी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है । प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 (प्र.सं. 32/2025) आर.टी.एक्ट. को स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण मौजा पीण्ड पटवार हल्का पीण्ड की प्रार्थीगण के हक हिस्से की आराजी नं. 114, 12, 13, 14, 24, 26, 29, 30, 46, 48, 68, 69 कुल किता 12 रकबा 5.500 हैक्ट. को हस्तांतरित न करे न करावे तथा राजस्व रिकॉर्ड की

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

यथास्थिति बनायी रखे। इस हेतु विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पावंद किया जाता है। पत्रावली को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है ।
यह आदेश आज दिनांक 16.02.2026 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रवीन्द्र कुमार मेघवाल (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी